



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

7/1/97
25/2/97

सं. 82]
No. 82]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 1997/फाल्गुन 9, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 1997/PHALGUNA 9, 1918

वित्त मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1997

सा.का.नि. 97 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 1997 है।

(ख) ये 1 मार्च, 1997 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 11 ख के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) जहां किसी कंपनी ने धारा 58-क में निर्दिष्ट किसी निक्षेप का या उसके किसी भाग या उस पर ब्याज का, ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम किया है वहां वह धारा 370 के अधीन तब तक कोई ऋण नहीं देगी या कोई प्रत्याभूति नहीं देगी जब तक कि व्यतिक्रम की पूर्ति नहीं कर दी जाती है।”

3. उक्त नियमों के नियम 11ग के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) जहां किसी कंपनी ने धारा 58-क में निर्दिष्ट किसी निक्षेप का या उसके किसी भाग या उस पर ब्याज का, ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय करने में व्यतिक्रम किया है वहां वह धारा 372 के अधीन तब तक किसी अन्य निगमित निकाय के शेयर में विनिधान करने की हकदार नहीं होगी जब तक कि व्यतिक्रम की पूर्ति नहीं कर दी जाती है।”

[फा. सं. 1/1/97-सी. एल. V]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मुख्य नियम का. नि. आ. नं. 432 दिनांक 18-2-56 के द्वारा छपे थे व संशोधित हुए :—

1. का. नि. आ. 2535 दिनांक 1-11-1956
2. का. नि. आ. 3135 दिनांक 21-12-1956
3. का. नि. आ. 237 दिनांक 19-1-1957
4. का. नि. आ. 2105 दिनांक 29-4-1957
5. का. नि. आ. 3038 दिनांक 28-9-1957
6. का. नि. आ. 3867 दिनांक 7-12-1957
7. सा. का. नि. 48 दिनांक 22-2-1958

- | | |
|---|---|
| 8. सा . का. नि. 723 दिनांक 23-8-1958 | 46. सा . का. नि. 479 (अ) दिनांक 22-4-1988 |
| 9. सा . का. नि. 750 दिनांक 30-8-1958 | 47. सा . का. नि. 694 (अ) दिनांक 10-6-1988 |
| 10. सा . का. नि. 1026 दिनांक 1-11-1958 | 48. सा . का. नि. 782 (अ) दिनांक 13-7-1988 |
| 11. सा . का. नि. 14 दिनांक 3-1-1959 | 49. सा . का. नि. 908 (अ) दिनांक 7-9-1988 |
| 12. सा . का. नि. 548 दिनांक 9-5-1959 | 50. सा . का. नि. 1032 (अ) दिनांक 26-10-1988 |
| 13. सा . का. नि. 1140 दिनांक 17-10-1959 | 51. सा . का. नि. 449 (अ) दिनांक 17-4-1989 |
| 14. सा . का. नि. 1224 दिनांक 7-11-1959 | 52. सा . का. नि. 510 (अ) दिनांक 24-5-1990 |
| 15. सा . का. नि. 1364 दिनांक 12-12-1959 | 53. सा . का. नि. 795 (अ) दिनांक 18-9-1990 |
| 16. सा . का. नि. 220 दिनांक 27-2-1960 | 54. सा . का. नि. 289 (अ) दिनांक 31-5-1991 |
| 17. सा . का. नि. 595 दिनांक 28-5-1960 | 55. सा . का. नि. 614 (अ) दिनांक 3-10-1991 |
| 18. सा . का. नि. 195 दिनांक 18-2-1961 | 56. सा . का. नि. 754 (अ) दिनांक 26-12-1991 |
| 19. सा . का. नि. 814 दिनांक 24-6-1961 | 57. सा . का. नि. 312 (अ) दिनांक 6-3-1992 |
| 20. सा . का. नि. 1105 दिनांक 9-9-1961 | 58. सा . का. नि. 353 (अ) दिनांक 26-3-1992 |
| 21. सा . का. नि. 1408 दिनांक 25-11-1961 | 59. सा . का. नि. 484 (अ) दिनांक 11-5-1992 |
| 22. सा . का. नि. 653 दिनांक 12-5-1962 | 60. सा . का. नि. 581 (अ) दिनांक 27-8-1993 |
| 23. सा . का. नि. 344 दिनांक 2-3-1963 | 61. सा . का. नि. 621 (अ) दिनांक 24-9-1993 |
| 24. सा . का. नि. 628 दिनांक 13-4-1963 | 62. सा . का. नि. 286 (अ) दिनांक 1-3-1994 |
| 25. सा . का. नि. 97 दिनांक 16-1-1965 | 63. सा . का. नि. 598 (अ) दिनांक 28-7-1994 |
| 26. सा . का. नि. 822 दिनांक 12-6-1965 | 64. सा . का. नि. 697 (अ) दिनांक 20-9-1994 |
| 27. सा . का. नि. 1570 दिनांक 30-10-1965 | 65. सा . का. नि. 283 (अ) दिनांक 21-3-1995 |
| 28. सा . का. नि. 368 दिनांक 19-3-1966 | 66. सा . का. नि. 424 (अ) दिनांक 26-5-1995 |
| 29. सा . का. नि. 421 दिनांक 18-3-1966 | 67. सा . का. नि. 251 (अ) दिनांक 21-6-1996 |
| 30. सा . का. नि. 499 दिनांक 9-4-1966 | |
| 31. सा . का. नि. 743 दिनांक 21-5-1966 | |
| 32. सा . का. नि. 847 दिनांक 4-6-1966 | |
| 33. सा . का. नि. 1266 दिनांक 13-8-1966 | |
| 34. सा . का. नि. 130 दिनांक 20-1-1968 | |
| 35. सा . का. नि. 667 दिनांक 30-6-1973 | |
| 36. सा . का. नि. 327 (अ) दिनांक 10-6-1975 | |
| 37. सा . का. नि. 414 (अ) दिनांक 16-7-1975 | |
| 38. सा . का. नि. 2596 दिनांक 1-11-1975 | |
| 39. सा . का. नि. 2828 दिनांक 13-12-1975 | |
| 40. सा . का. नि. 154 दिनांक 31-1-1976 | |
| 41. सा . का. नि. 248 (अ) दिनांक 24-3-1976 | |
| 42. सा . का. नि. 627 दिनांक 14-5-1977 | |
| 43. सा . का. नि. 24 (अ) दिनांक 9-1-1979 | |
| 44. सा . का. नि. 1256 दिनांक 6-10-1979 | |
| 45. सा . का. नि. 555 (अ) दिनांक 4-9-1982 | |

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1997

G.S.R. 97 (E).— In exercise of powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

(a) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, (Amendment) Rules, 1997.

(b) They shall come into force on the first day of March, 1997.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11 B, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Where a Company has defaulted in repayment of any deposit referred to in Section 58-A or any part

thereof or interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit it shall not make any loan or give any guarantee under Section 370 till the default is made good."

3. In the said rules, in rule 11 C after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Where a Company which has defaulted in repayment of any deposit referred to in Section 58-A or any part thereof or interest thereupon in accordance with the terms and conditions of such deposit it shall not be entitled to invest in the share of any other body corporate under Section 372 till the default is made good."

[F. No. 1/1/97-CL.V]

R.D. JOSHI, Jt. Secy.

Footnote:—The Principal rules were published vide S.R.O. 432 dated 18-2-56 and subsequently amended by:—

1. SRO 2535 dated 1-11-1956
2. SRO 3135 dated 21-12-1956
3. SRO 237 dated 19-1-1957
4. SRO 2105 dated 29-1-1957
5. SRO 3038 dated 28-9-1957
6. SRO 3867 dated 7-12-1957
7. GSR 48 dated 22-2-1958
8. GSR 723 dated 23-8-1958
9. GSR 750 dated 30-8-1958
10. GSR 1026 dated 1-11-1958
11. GSR 14 dated 3-1-1959
12. GSR 548 dated 9-5-1959
13. GSR 1140 dated 17-10-1959
14. GSR 1224 dated 7-11-1959
15. GSR 1364 dated 12-12-1959
16. GSR 220 dated 27-2-1960
17. GSR 595 dated 28-5-1960
18. GSR 195 dated 18-2-1961
19. GSR 814 dated 24-6-1961
20. GSR 1105 dated 9-9-1961
21. GSR 1408 dated 25-11-1961
22. GSR 653 dated 12-5-1962
23. GSR 344 dated 2-3-1963
24. GSR 628 dated 13-4-1963
25. GSR 97 dated 16-1-1965
26. GSR 822 dated 12-6-1965
27. GSR 1570 dated 30-10-1965
28. GSR 368 dated 19-3-1966
29. GSR 421 dated 18-3-1966
30. GSR 499 dated 9-4-1966
31. GSR 743 dated 21-5-1966
32. GSR 847 dated 4-6-1966
33. GSR 1266 dated 13-8-1966
34. GSR 130 dated 20-1-1968
35. GSR 667 dated 30-6-1973
36. GSR 327(E) dated 10-6-1975
37. GSR 414(E) dated 16-7-1975
38. GSR 2596 dated 1-11-1975
39. GSR 2828 dated 13-12-1975
40. GSR 154 dated 31-1-1976
41. GSR 248(E) dated 24-3-1976
42. GSR 627 dated 14-5-1977
43. GSR 24(E) dated 9-1-1979
44. GSR 1256 dated 6-10-1979
45. GSR 555(E) dated 4-9-1982
46. GSR 479(E) dated 22-4-1988
47. GSR 694(E) dated 10-6-1988
48. GSR 782(E) dated 13-7-1988
49. GSR 908(E) dated 7-9-1988
50. GSR 1032(E) dated 26-10-1988
51. GSR 449(E) dated 17-4-1989
52. GSR 510(E) dated 24-5-1990
53. GSR 795(E) dated 18-9-1990
54. GSR 289(E) dated 31-5-1991
55. GSR 614(E) dated 3-10-1991
56. GSR 754(E) dated 26-12-1991
57. GSR 312(E) dated 6-3-1992
58. GSR 353(E) dated 26-3-1992
59. GSR 484(E) dated 11-5-1992
60. GSR 581(E) dated 27-8-1993
61. GSR 621(E) dated 24-9-1993
62. GSR 286(E) dated 1-3-1994
63. GSR 598(E) dated 28-7-1994
64. GSR 697(E) dated 20-9-1994
65. GSR 283(E) dated 21-3-1995
66. GSR 424(E) dated 26-5-1995
67. GSR 251(E) dated 21-6-1996.